दिनांकः 10-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ फाईनेंस कम्पनी में डकैती की घटना कारित करने वाले गिरोह का 01 बदमाश/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 15,750/- रुपये, 01 आईडी (आधार कार्ड), अवैध असलाह/कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2024 को वादी श्री चतर सिंह पुत्र कचलूराम निवासी जिसऊ थाना सहिया देहरादून हाल पता भारत फाईनेन्स कम्पनी संजय कालोनी थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 29.11.2024 की रात्रि में 06-07 अज्ञात बदमाशो द्वारा संजय कालोनी बेहट स्थित फाईनेन्स कम्पनी में घुसकर तमन्चों के बल पर लॉकर में रखे 1,74,000/- रूपये लूट लेने व अन्य कर्मचारीगण से रूपये व मोबाइल फोन लूट लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 380/24 धारा- 310(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तो की गिरफ्तारी व घटना के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक बेहट को आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान अमन गार्डन कालोनी से कादरपुर को जाने वाले रास्ते पर आ रही एक ब्रेजा कार को रोकने का प्रयास किया गया तो कार में सवार दोनो व्यक्ति कार को लेकर कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगे तथा पुलिस को अपना पीछा करता देख पुलिस से बचने के लिए कार में बैठे संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, फायरिगं के दौरान गाड़ी का टायर मिट्टी में धंस गया जिसके बाद दोनो व्यक्ति गाडी से उतरकर भागने लगे। इस पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर भाग रहे 01 बदमाश को ग्राम कादरपुर के कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। बदमाश का एक अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहा । गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान **शाबेज पुत्र इमरान निवासी ग्राम फतेहपुर एतमाली थाना झिंझाना जिला शामली** के रूप में हुई । अभियुक्त के कब्जे से 15750/- रूपये, 01 आईडी (आधार कार्ड), 01 देशी तमन्चा, 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(3) बीएनएस की वृद्वि की गयी। पुलिस मुठभेड के आधार पर अभियुक्त शाबेज उपरोक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 14/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो ने पिछले साल के नवम्बर की 29 तारीख को रात के समय संजय कालोनी में भारत फाईनेन्स लिमिटेड मैंनेजर व कर्मचारियो को हथियारो के बल डरा धमकाकर 1,74,000/- रुपये तिजोरी/लॉकर से व 18,600/- रुपये व उनके मोबाइल व एक चाँदी की चैन कर्मचारियो से डकैती डालकर लूट लिये थे। लूटे गये रूपये हम लोगों ने आपस में बाँट लिये थे हम दोनो के हिस्से में 25-25 हजार रुपये आये थे। जो पैसे मेरे हिस्से में आये थे उनमे से मेरे पास 15750/- रूपये बचे थे जो अभी आपको मेरे पास से मिले है।

हमारे गैग द्वारा कस्बा चिलकाना में मरीज व तीमारदार बनकर डाक्टर के क्लीनिक पर भी तमंचा दिखाकर लूटपाट का प्रयास किया गया था लेकिन शोर मचने पर हम इसी ब्रेजा कार से भाग गये थे तथा लूट में कामयाब नही हो पाये थे । हमने इन दोनो घटनाओ में इसी ब्रेजा गाडी का इस्तेमाल किया गया है। आज भी हम लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे और रास्ते में पुलिस को चैकिंग करते देख मै और मेरे साथी (मंजीत उर्फ ढिल्ला) ने पुलिस से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया और गाड़ी छोड़कर भागने लगे। मेरा जो साथी मंजीत मौके से भाग गया है वही घटना करने के दौरान गाडी की नम्बर प्लेट बदलता था तथा दिल्ली के नम्बर की फर्जी नम्बर प्लेट लगा देता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

शाबेज पुत्र इमरान निवासी ग्राम फतेहपुर एतमाली थाना झिंझाना जिला शामली

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाबेज पुत्र इमरान उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 380/24 धारा- 310(2)/317(3) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 014/25 धारा- 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0सं0सं0- 263/24 धारा 3(5)/312 बीएनएस थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 15,750/- रुपये (लूटे गये)
- 01 आधार कार्ड (अभियुक्त ढिल्ला उर्फ मंजीत का)
- 01 देशी तमन्चा 315 बोर
- 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 ब्रेजा कार सिल्वर रंग (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. है0का0 816 प्रदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 1835 सन्दीप चिकारा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. का0 2036 हर्ष तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 10.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 शातिर लुटेरे/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 8000/- रूपये, 01 पहचान पत्र व 01 एटीएम कार्ड, 01 मोबाइल फोन, लूटा गया बैग व घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.01.2025 को वादी श्री सचिन पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम हलवाना थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत कार सवार 04 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी को रास्ते में रोककर वादी के 14 हजार रूपये, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन एवं बैग (जिसमें कम्पनी का पहचान पत्र व कुछ कपड़े) लूट कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा 309(4) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल लूट की घटना का संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु थाना प्रभारी को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी फतेहपुर के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 09.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए **06 शातिर लूटेरे अभियुक्तगण 1. अभिषेक पुत्र अजय कुमार निवासी अलीपुर सम्भालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 2. सुमित पुत्र ब्रह्मपाल निवासी चांदपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर**, **3. आकाश पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम चूड़ियाला थाना भगवानपुर हरिद्वार, 4. विवेक पुत्र जोगेन्द्र निवासी अलीपुर सम्भालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 5. विक्की पुत्र कीरतपाल निवासी ग्राम गुरूनानकपुरा थाना इस्लामाबाद अमृतसर (पंजाब)** व **6.आकाश पुत्र सुशील निवासी वार्ड नं0 22 जोगेन्द्र नगर थाना गांधीनगर जिला यमुनानगर हरियाणा** को फतेहपुर बिजलीघर से आगे जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर ट्यूबबैल के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 8000/- रूपये, 01 पहचान पत्र, 01 एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, एक बैग एवं घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 310(2)/317(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछताछ एक राय होकर एक स्वर में बताया कि अभिषेक ने यह स्विफ्ट गाड़ी सं0 UK07TE0205 हारून नाम के व्यक्ति से 1300 रूपये प्रतिदिन किराये पर ले रखी है। हम सभी ने दिनांक 08.01.25 को शराब पी रखी थी और शराब के नशे मे हम सभी ने मिलकर रात्रि को हलवाना रोड पर बाग के पास एक मोटर साईकिल सवार व्यक्ति को ओवरटेक कर रोक लिया था जिसमें अभिषेक व विवेक गाड़ी को स्टार्ट कर गाड़ी मे ही बैठे रहे थे और बाकी हम चारो ने मोटर साईकिल सवार व्यक्ति से 14000 रूपये व उसका सामान छीन लिया था एवं हम सभी गाड़ी में बैठकर भाग गये थे। फिर हमने 14000 रूपयो को हमने आपस में बाट लिया था जिसमें प्रत्येक के पास 2200, 2200 रूपये आये थे अभिषेक नें गाड़ी के तेल के लिये 800 रूपये ज्यादा लिये थे आज भी हम लोग किसी और घटना करने की फिराक में जंगल में ट्यूबबैल के पास खड़े थे कि हमे आपने पकड़ लिया था। गाड़ी की डिग्गी में जो बैग व सामान मिला है वह उसी व्यक्ति का है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अभिषेक पुत्र अजय कुमार निवासी अलीपुर सम्भालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. सुमित पुत्र ब्रह्मपाल निवासी चांदपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
3. आकाश पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम चूड़ियाला थाना भगवानपुर हरिद्वार।
4. विवेक पुत्र जोगेन्द्र निवासी अलीपुर सम्भालकी उर्फ गोल्ली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
5. विक्की पुत्र कीरतपाल निवासी ग्राम गुरूनानकपुरा थाना इस्लामाबाद अमृतसर पंजाब।
6. आकाश पुत्र सुशील निवासी वार्ड नं0 22 जोगेन्द्र नगर थाना गांधीनगर जिला यमुनानगर हरियाणा।

बरामदगी का विवरणः-

- 8000/- रूपये (लूटे गये रूपये से शेष बचे)
- 01 पहचान पत्र
- 01 एटीएम कार्ड
- 01 मोबाईल (भारत जीयो की-पैड)
- 01 बैग
- 01 स्विफ्ट कार (घटना में प्रयुक्त UK 07 TE 0205)

अभियुक्त अभिषेक का आपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 190/20 धारा 188 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त विवेक का आपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 136/21 धारा 392/411 भादवि थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 143/21 धारा 414 भादवि थाना नांगल जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त सुमित का आपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 230/24 धारा 115(2)/177(2)/324(4)/351(3)/352 बीएनएस थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. कार्यवाहक थाना प्रभारी/व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र शर्मा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. उ0निवासी श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. उ0निवासी श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
4. उ0निवासी श्री प्रवीन कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
5. उ0निवासी श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
8. है0का0 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
9. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
10. का0 2404 अमित कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
11. का0 1551 अमित तोमर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 09.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त हुण्डाई VERNA कार बरामद

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा फरार चारो अभियुक्तो पर 25-25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया**

अवगत कराना है कि दिनाँक 02.01.2025 को वादिया श्रीमती अर्चना पत्नि सुरेश राणा उर्फ काका नि0ग्राम सब्जि मण्डी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर मे घुसकर वादिया के पति को गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 02/2025 धारा 103(1)/332(सी)/61 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी को आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक-10.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना का अनावरण करते हुए प्रकाश मे आये 01 वांछित **अभियुक्त विकास उर्फ विक्की पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ग्राम वार्ड न0- 3 राजौन्द थाना राजौन्द जनपद कैथल (हरियाणा)** को कोलकी फलाई ओवर के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त हुण्डाई VERNA गाडी रजिन0- HR 51 AS 8685 बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्त मे पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 02.01.2025 की रात्री में मेरे गाव के प्रमोद उर्फ रामकरण व सुरेश राणा उर्फ काका मे पहले से ही दोस्ती थी और दोनो पहले साथ साथ प्रोपर्टी डीलर का काम करते थे । प्रोपर्टी डीलिंग के दौरान पैसो के लेनदेन को लेकर प्रमोद उर्फ रामकरण एव सुरेश राणा उर्फ काका मे मतभेद हो गया था, जिस पर प्रमोद के 40-50 लाख रुपये सुरेश की तरफ निकल रहे थे । सुरेश राणा ने अपनी कुछ जमीन का एग्रीमेन्ट भी प्रमोद को किया था परन्तु उसकी रजिस्ट्री नही की । इस सम्बन्ध मे प्रमोद उर्फ रामकरण ने सुरेश राणा से कहा कि या तो मेरे पैसे वापस कर दो या जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो लेकिन सुरेश राणा ने न तो जमीन दी न पैसे दिये और उलटे प्रमोद के साथ मारपीट कर दी थी । इस घटना से प्रमोद, सुरेश राणा से नराज हो गया और अपनी बेईज्जती का बदला लेने की फिराक मे लग गया । उसने पजांब के दो व्यक्ति सीपी व गट्टू को गाव राजौन्ध मे बुलाया और मुझे व सोमवीर को भी बुलाया और गाव राजौन्ध मे ही हम सब ने सुरेश राणा से बदला लेने की योजना बनाई और एक षडयन्त्र रचकर उसकी हत्या करने की फिराक मे लग गये । प्रमोद योजना बनाकर दिनाक 27 या 28 दिसम्बर 2024 को टूरिस्ट वीजा पर मलेशिया चला गया और हम चारो मैं, सोमवीर, सीपी व गट्टू से वाटसप एप

व अन्य एप से सम्पर्क मे रहा और बनाई गयी योजना को फलीभूत करने के लिये कहता रहा। इसी योजना के तहत दिनाक-02.01.2025 को दिन मे लगभग 2 बजे के करीब हम लोग अपने गाव के रविन्द्र उर्फ रवि पुत्र जोगेन्द्र नि0 ग्राम राजौन्द की VERNA हुण्डाई कार मे बैठकर राजौन्ध से करनाल से गंगोह से नकुड होते हुये अम्बाला से देहरादून जाने वाले हाईवे पर चढकर गागलहेडी कट से नीचे उतरकर शाम को लगभग 7.30 – 08.00 बजे गागलहेडी मे आये और बनाई गयी योजना के तहत हमने उसके घर पर जाकर घर के अन्दर सोये हुए सुरेश राणा उर्फ काका की गोलिया मारकर हत्या कर दी और मै व मोनू गाडी लेकर वापस हरियाणा आ गये थे तथा सीप्पी व गट्टू दोनो वहाँ चले गये। जो तमंचा आपको मेरे पास से मिला है यह घटना वाले दिन मेरे पास था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विकास उर्फ विक्की पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ग्राम वार्ड न0- 3 राजौन्द थानी राजौन्द जनपद कैथल (हरियाणा)

बरामदगी का विवरणः-मृतक हमीद के--

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 गाडी हुन्डाई VERNA गाडी रजि न0- HR 51 AS 8685 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी (स0पुर)
2- उ0नि0 श्री विनोद कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल
3- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी (स0पुर)
4- है0का0 317 सुनिल कुमार थाना गागलहेडी (स0पुर)
5- का0 1035 हरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी (स0पुर)
6- का0 2344 प्रविण कुमार थाना गागलहेडी (स0पुर)
7- समस्त सर्विलांस टीम, सहारनपुर

दिनांकः-10-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा गौकशी करते हुए 01 महिला अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 50 किलोग्राम गौ मांस व गौकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व गौकश अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 10.01.2025 मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा गौकशी करते हुए 01 महिला **अभियुक्ता सन्नो पत्नी मुकर्रम निवासी ग्राम नन्हेडा बुड्ढाखेडा थाना नागल जनपद सहारनपुर** को ग्राम नन्हेडा बुड्ढाखेडा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से 50 किलोग्राम गोवंशीय मांस व गौकशी करने के उपकरण बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 10/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्ता से पूछताछ के दौरान बताया गया कि पैसो के लालच में मै अपने साथियो के साथ मिलकर गौकशी करती हूँ और आस पास बस्तियों में गौ मांस को बेच देते है, जिससे हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है। मांस बेचकर जो पैसा मिलता है उससे अपनी जरूरतों को पूरा करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सन्नो पत्नी मुकर्रम निनन्हेडा बुड्ढाखेडा थाना नागल जिला सहारनपुर 0

विवरण बरामदगीः-

- 50 किलो गौ मांस
- गौकशी के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सचिन त्यागी थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 389 जितेन्द्र कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. का0 354 अजमेर सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. म0का0 21 सोनिया थाना नांगल जिला सहारनपुर

दिनांकः 10-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोटरसाइकिल के पहिये, 04 सोकर, 02 ब्रेक सू प्लेट, 01 चैन, 01 चैनस्पोकिट, एवं ईन्जन के अन्दर का सामान

अवगत कराना है कि दिनांक 09.09.2024 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र रामकिशन नि0 मौ0 गांधी नगर मु0नगर की लिखित सूचना बाबत अज्ञात दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0स0 509/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 **अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र सोनू निवासी ग्राम रुहालकी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार, 2. अमित पुत्र विनोद निवासी ग्राम रुहालकी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार व 3. अभिषेक पुत्र विनोद निवासी ग्राम तल्हैडी खुर्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को उनके घरो से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से दो अदद मोटर साइकिल के पहिये, चार अदद सोकर, दो अदद ब्रेक सू प्लेट, एक अदद चैन, एक अदद चैनस्पोकिट एवं इंजन के अन्दर का सामान बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो आपस मे अच्छे दोस्त है शराब पीने के आदी है तथा दिनांक 13.08.2024 को हम दोनो देवबंद शराब पीने आ गये थे और मंगलौर रोड पर शराब के ठेके पर शराब पी रहे थे हमारे पास मे ही एक व्यक्ति अकेला बैठकर शराब पी रहा था हमने देखा की यह मोटर साईकिल से आया है और शराब पी रहा है शराब पीते पीते उसको ज्यादा नशा हो गया था हमने सोचा इसकी मोटर साईकिल को चुरा कर बेचने से कुछ पैसे मिल सकते है और हमारा खर्च भी चल जायेगा। चोरी योजना के तहत उस व्यक्ति की मोटर साईकिल चुरा ली और मेरी मौसी ग्राम तल्हेडी खुर्द मेरा एक दोस्त अभिषेक पुत्र विनोद नि0 तल्हेडी खुर्द में रहता है, अभिषेक ने मोटर साईकिल सस्ती देखकर मोटरसाईकिल हमसे खरीद ली। हमने उससे यह नही बताया था कि यह मोटर साईकिल हमने देवबंद से ही चोरी की है, पर अभिषेक ने सस्ती मोटर साईकिल देखकर हमसे पूछा कि ये मोटर साईकिल तुम कहा से चोरी कर के लाये हो तो हमने इसे उत्तराखण्ड से चोरी होना बताया था। पकड़े जाने के डर से अभिषेक ने मोटरसाइकिल को अलग-अलग करके पार्ट में बेचने का सोचा था। मोटरसाइकिल के पार्ट को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1. अमित पुत्र विनोद निवासी ग्राम रुहालकी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार
2. सचिन पुत्र सोनू निवासी ग्राम रुहालकी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार
3. अभिषेक पुत्र विनोद निवासी ग्राम तल्हैडी खुर्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

- 02 मोटर साइकिल के पहिये
- 04 मोटरसाइकिल के सोकर

- 02 ब्रेक सू प्लेट
- 01 मोटरसाइकिल की चैन
- 01 चैनस्पोकिट
- ईन्जन के अन्दर का सामान

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संजय यादव थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. है0का0 698 सन्दीप भाटी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 902 गोविन्द थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. का0 16 पवन सिरोही थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 10.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा घर मे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार 02 अदद बैट्रे व एक स्कूटी बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 05.01.2025 को वादी श्री राम सुरेश वर्मा पुत्र हरिराम वर्मा निवासी 12 सी/15 कृष्णा स्मार्ट कालोनी निकट बग्लामुखी मन्दिर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर से 01 स्कूटी व 02 बैट्रे चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 07/2025 धारा 305(ए) बीएनएस पजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में घर में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 शातिर नकबजन/अभियुक्त रिहान पुत्र सलीम नि0 विश्वास नगर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर** को सकलापुरी रोड़ पर बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी गये 02 अदद बैट्रे व चोरी की स्कूटी रजि0न0 UP11BC9178 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 05.01.2025 को एक मकान में घुसकर 02 बैट्रे व 01 स्कूटी चोरी करके भाग गया था। मै नशा करने का आदी हूँ और अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी कर लेता हूँ। आज मैं स्कूटी को बेचने की फिराक में निकला था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

रिहान पुत्र सलीम नि विश्वास नगर थाना 0कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 02 चोरी गये बैट्रै
- 01 चोरी गयी स्कूटी बरामद (UP11BC9178)

आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 140/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. है0का0 526 सनोवर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 152 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 10.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 37 मुकदमो मे बरामद की गयी कुल 494 लीटर अवैध देशी, अग्रेजी व कच्ची शराब (कीमत करीब 01 लाख 56 हजार रुपये) का माननीय न्यायालय के आदेश से विनिष्टिकरण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना पर लम्बित मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे अभियान '**आपरेशन क्लीन**' के अन्तर्गत माननीय न्यायालय एसीजे(जेडी)/जे0एम0 देवबन्द सहारनपुर के आदेश दिनाँक 06.01.2025 के अनुपालन मे श्री युवराज उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारन, रुचि गुप्ता क्षेत्राधिकारी गंगोह , श्री मौहम्मद अहमद अभियोजन अधिकारी देवबन्द , श्री अक्षय कुमार आबकारी निरीक्षक व श्री सचिन पूनिया थानाध्यक्ष थाना नानौता सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना नानौता पुलिस द्वारा आज दिनाँक 10.01.2025 को **वर्ष 2023,2024 मे आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 37 अभियोगो मे बरामद कुल 494 लीटर अवैध देशी, अंग्रेजी व कच्ची शराब (कीमत करीब 01 लाख 56 हजार रुपये)** को चौकी जन्धेडी परिसर मे खाली जमीन मे जेसीबी से गहरा गढढा खुदवाकर समस्त माल को उसमे दबवाकर नष्ट किया गया।

नष्ट की गयी अवैध शराब का निस्तारण -

कच्ची, देशी व अंग्रेजी शराब कुल 494 लीटर (कीमत करीब 01 लाख 56 हजार रुपये)

अवैध शराब निस्तारण हेतु गठित टीमः-

1. श्री युवराज उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. रुचि गुप्ता क्षेत्राधिकारी गंगोह सहारनपुर
3. श्री मौहम्मद अहमद अभियोजन अधिकारी देवबन्द सहारनपुर
4. श्री अक्षय कुमार आबकारी निरीक्षक सहारनपुर
5. श्री सचिन पूनिया थानाध्यक्ष थाना नानौता सहारनपुर
6. व0उ0नि0 जितेन्द्र सिह थाना नानौता सहारनपुर
7. उ0नि0/एचएम जितेन्द्र सिह थाना नानौता सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 08.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर/नकबजन को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया सामान व 5060 रुपये नकद बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.01.2025 को वादी श्री शिवकुमार पुत्र सकुनशाह निवासी विष्णुपुरी कालौनी गलीरा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के मोहल्ले विष्णुपुरी कालौनी मे विष्णुपुरी मन्दिर का ताला तोडकर 15 से 20 हजार रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 05/24 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.01.2025 को वादी श्री संस्कार पुत्र योगेश कुमार निवासी प्रदीप विहार लक्ष्मी पुरम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान के घर का ताला तोडकर घर का सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना सदर मु0अ0सं0 08/2025 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर नकबजनी की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व दिनांक 10.01.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभि0गण **1.सन्दीप गौतम पुत्र ओमपाल निवासी गलीरा थाना सदर बाजार सहारनपुर 2. अमृत उर्फ पाण्डे पुत्र सुशील निवासी गलीरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।** को फत्तेहपुर जट से मनोहर पुर की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी गया सामान व 5060 रुपये नकद बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर दोनो ने एक राय होकर बताया कि हम दौनों नशे के आदी है तथा नशे की आदत/लालच में छोटी-मोटी चोरी कर लेते है

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सन्दीप गौतम पुत्र ओमपाल निवासी गलीरा थाना सदर बाजार, सहारनपुर
2. अमृत उर्फ पाण्डे पुत्र सुशील निवासी गलीरा थाना सदर बाजार, सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- **01** इन्डेक्शन चुल्हा (प्रेशटिज कम्पनी)
- 01 भगौना पीली धातु
- 02 थाल पीली धातु
- 03 गिलास पीली धातु

- 01 कर्छी पीली धातु
- 02 कटोरी पीली धातु
- 5060 रुपये नगद बरामद

अभियुक्त अमृत उर्फ पाण्डे का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0असं0 20/24 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी स0पुर

2. मु0असं0 71/23 धारा 380/457/411 भादव थाना सदर बाजार स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार स0पुर।
2. उ0नि0 बबलू कुमार थाना सदर बाजार स0पुर
3. है0का0 235 विनीत थाना सदर बाजार स0पुर
4. का0 2011 अजय थाना सदर बाजार स0पुर

दिनांक 10.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नकबजनी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01शतिर चोर/नकबजन को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.01.2025 को वादी श्री संस्कार पुत्र योगेश कुमार निवासी प्रदीप विहार लक्ष्मी पुरम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर 50,000 रुपये व अन्य घरेलू सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 11/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर नकबजनी की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.01.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त **सलमान पुत्र अहसान निवासी रक्खा कालोनी दिल्ली रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर हाल पता हाकमशाह कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को चैकिंग/गश्त के दैरान रेलवे अन्डर पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किये गया सामान बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), BNS बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की तो बताया कि इस वीडियो मे दिखायी दे रहा व्यक्ति मै ही हूँ। मैने 5, 6 दिन पहले दिन के समय लगातार कई दिनो तक नवीन नगर में एक बंद मकान की खिडकी तोडकर घर में घुसकर घर में रखे टिफिन, बैडशीट, तकिया, कम्बल आदि सामान को चोरी किये थे और उस चोरी के सामान को रेलवे कालोनी में एक बंद पडे क्वार्टर में छिपाकर रखा दिया था और उस चोरी किये सामान को थोडा-थोडा करके चादर में बांधकर नेहरू मार्केट मे तिराहे पर बने शेर के पास सडक किनारे अपनी चादर बिछाकर आने जाने वाले ग्राहको को सस्ते दामो में बेच देता था। आज मै बचे हुये चोरी के सारे सामान को लेकर जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

सलमान पुत्र अहसान निवासी रक्खा कालोनी दिल्ली रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर हाल पता हाकमशाह कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 05 डबल बैड़शीट
- 04 तकियें

- 06 तकियें के कवर
- 04 लंच बाक्स

अभियुक्त सलमान का आपराधिक इतिहासः

1. मु0अ0स0 448/23 धारा 380/427/457/511 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0स0 458/23 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री जहांगीर सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. है0का01113 अरविन्द थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. है0का0 556 नरेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. का0 186 विमल थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6. है0का0 739 ललित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांकः 10.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा भगवान श्री राम पर अभद्र/आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.01.2025 को वादी उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना बिहारीगढ़ की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त मोइन पुत्र यासीन निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर के विरुद्ध फेसबुक पर भगवान श्रीराम को लेकर अभद्र/आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0-01/2025 धारा 196(1)(b)/299 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहानरपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त त्वरित कार्यवाही करते हुए फेसबुक के माध्यम से भगवान श्रीराम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त मोइन पुत्र यासीन नि0 ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर को ग्राम कुरड़ीखेड़ा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

मोइन पुत्र यासीन निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
3. का0 2332 अरविन्द कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
4. का0 483 अर्जुन सोलंकी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।